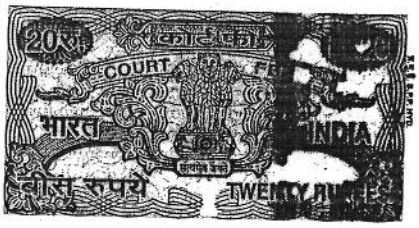

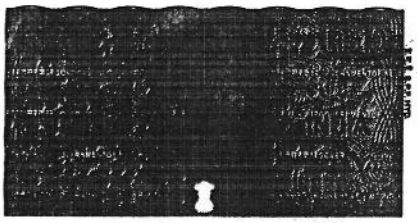

(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला भिण्ड II/निगरानी/भिण्ड/स्टांप अधि/2018/1312

बेताल सिंह राठौर पुत्र श्री काशीराम राठौर,
निवासी– वार्ड नम्बर 21, भारौली रोड, भिण्ड,
जिला – भिण्ड (म.प्र.) —— आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
भिण्ड, जिला – भिण्ड (म.प्र.)
—— अनावेदक

श्री ...... द्वारा आज दि. 13-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-3-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भिण्ड, जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 11 /सी–132/2016–17/धारा 49, 50 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, भिण्ड जिला भिण्ड द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है तथा प्रकरण की वस्तुस्थिति के विपरीत पारित किया गया है जिसमें वास्तविक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को दृष्टि ओझल किया जाकर केवल काल्पनिक आधारों पर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया था कि पक्षकारों के निर्देशन पर सम्पदा आवेदन पत्र में एक विकयपत्र का इनीशिएसन किया गया था। उक्त विकयपत्र में राशि 2,39,543/– के ई–स्टाम्प जनरेट (विकय किये थे) ई–स्टाम्प राशि का भुगतान ने सम्पदा एप्लीकेशन पर संचालित अपनी केडिट लिमिट (रा.शीर्ष–0030) में जमा राशि से किया गया था। केता द्वारा ई–स्टाम्प की राशि का भुगतान दस्तावेज तेयार करने के पश्चात् करने को कहा गया था, लेकिन विकेता द्वारा विकय की जा रही सम्पत्ति बेचने से मना करने के कारण सम्पदा तैयार पर तैयार विलेख का

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/स्टा.अ./2018/1312

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/2019	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 11/सी-131/2016-17/धारा-49,50 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 के विरुद्ध म.प्र. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जाएगा) की धारा-56 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ई-स्टाम्प वापिसी हेतु आवेदन पत्र संपदा एप्लीकेशन के माध्यम से दिनांक 10.10.2017 को ऑनलाइन प्रस्तुत कर 2,39,543/- रुपये के वापिसी हेतु निवेदन किया गया। उक्त् आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि आवेदन स्टाम्प एक्ट की धारा 50(1) के तहत निर्धारिते समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया है आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि स्टाम्प एक्ट की धारा 50(1) में समय-सीमा 6 माह है, ना कि 2 माह। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान न देकर त्रुटि की है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सद्भावना पर आधारित है। क्रेतागण द्वारा भी मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत किए हैं, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को उन पर विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था जो ना कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की है। 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। स्टाम्प एक्ट की धारा - 50(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवेदन दिए जाने की समय-सीमा लिखित की तारीख से 2 मास के भीतर निर्धारित की गई है ना कि 6 मास के भीतर। अत: आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क कि समय-सीमा 6 माह है। मान्य किए जाने योग्य नहीं है। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा ई-स्टाम्प दिनांक 27.07.2017 को जनरेट/क्रय-विक्रय किए गए थे जबकि वापिसी हेतु आवेदन दिनांक 10.10.2017 को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रिफण्ड वापिसी हेतु आवेदन 2 माह उपरांत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	